महात्मा गांधी नरेगा अति–आवश्यक

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013 जयपुर, दिनांक 17.05.2013

17 MAY 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्यक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनानतर्गत वर्ष 2012–13 में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों को स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 2100 की नकद सहायता उपलब्ध कराने बाबत आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.03.2013 एव 17.04.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की निरन्तरता के क्रम में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में ऐसे परिवारों, जिन्होने वित्तीय वर्ष 2012–13 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया है, उन्हे राज्य सरकार द्वारा स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 2100 (दो हजार एक सौ मात्र) की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है :–

1. स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से दी जाने वाली राशि ₹ 2100 का भुगतान नरेगा योजना में 100 दिन कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की वरिष्ठतम महिला (सर्वाधिक आयु वाली), जिसने वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्य किया हो, के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में यह राशि जमा की जावेगी। यदि किसी परिवार में महिला ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत कार्य नही किया हो तो, ऐसी स्थिति में योजनान्तर्गत कार्य करने वाले वरिष्ठतम पुरूष (सर्वाधिक आयु वालों) के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में राशि जमा की जावेगी।

2. स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से दी जाने वाली राशि ₹ 2100 का उपयोग केवल स्व–रोजगार प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाए करने, आवश्यक उपकरण खरीदने, दक्षतावर्द्धन, आजीविका

मिशन से लाभ लेने, स्वयं सहायता समूह बनाने तथा अन्य योजनाओं की जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए किया जावेगा।

3. स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से दी जाने वाली राशि ₹ 2100 का भुगतान राज्य मद से इस उद्देश्य के लिए जारी की जाने वाली धन राशि से कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस द्वारा किया जावेगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त राशि का उपयोग केवल स्वरोजगार हेतु प्रेरित होने के लिए किया गया है।

4. स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से दी जाने वाली राशि ₹ 2100 के उपयोग हेतु लेखा शाखा (नरेगा) द्वारा तथ्यो का सत्यापन किया जावेगा।

5. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के उदघाटन के समय जिन परिवारों को उक्त राशि ₹ 2100 का भुगतान किया जा चुका है, उन परिवारों को छोड़ते हुए शेष परिवारों को यह भुगतान दिनांक **31.05.2013** तक किया जावेगा एवं ग्रा.पं. को उनके द्वारा सेवा केन्द्र के लोकार्पण के समय किये गये भुगतान का पुनर्भरण भी कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

6. उपरोक्त राशि हस्तान्तरण से पूर्व सम्बन्धित ग्रा.पं. के ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम सेवक द्वारा स्व रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से मा. मंत्री महोदय की तरफ से लाभार्थियों को सम्बोधित पत्र उपलब्ध कराया जावेगा एवं इसकी प्राप्ति रसीद ली जावेगी। इस पत्र को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

7. स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से दी जाने वाली राशि ₹ 2100 के वितरण की प्रगति निम्न प्रारूप में प्रत्येक शुक्रवार को ई–मेल nrega.raj@gmail.com पर आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे–

संचयी प्रगति दि. .... तक

वर्ष 2012–13 के दौरान 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले को स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से दी गई राशि ₹ 2100 के भुगतान की प्रगति–

जिला	वर्ष 2012–13 के दौरान 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या (As per nrega soft)	परिवारों की संख्या जिन्हें स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से दी राशि ₹ 2100 का भुगतान किया गया	राज्य मद से उपलब्ध कराई गई राशि	कुल वितरित की गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

जिले से उपरोक्त प्रगति भिजवाने का उत्तरदायित्व जिला एमआईएस मैनेजर, ईजीएस का होगा।

8. स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से दी जाने वाली राशि ₹ 2100 का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 30.06.2013 तक प्रेषित किये जावे।

9. उक्त भुगतान की प्रविष्टि महात्मा गांधी नरेगा रोकड पुस्तिका में की जावेगी, लेकिन सी.ए. रिपोर्ट में इसे पृथक से अभिलिखित किया जावेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
5. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. समस्त अधिकारीगण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि जिलों में भ्रमण के दौरान इस गतिविधि की विशेष समीक्षा की जावे।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस से अनुरोध है कि उक्त प्रयोजन हेतु तत्काल जिलों को आवश्यक राशि हस्तान्तरित करे।
8. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम एवं द्वितीय), महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त राजस्थान।
9. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा जयपुर।
10. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
11. एम.आई.एस. मैनेजर, ईजीएस, जि.पं. समस्त को बिन्दु सं. 6 की पालना हेतु। प्रत्येक शुक्रवार को सायं 04:00 बजे तक उक्त सूचना प्राप्त न होने पर इसे आपके स्तर पर शिथिलता एवं लापरवाही मानते हुए कार्यवाही की जावेगी।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
13. समन्वयक, आईईसी, नरेगा मुख्यालय।
14. एम.आई.एस. मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई–मेल करने एवं विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
15. श्रीमती पवित्रा भट्ट, कार्यालय हाजा। उपरोक्त सूचनाए कम्पाईल कर प्रत्येक शुक्रवार को शाम 05:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस